



કાર્યાલય જિલ્લા પંચાયત સુરજપુર જિલ્લા-સુરજપુર [૮૦ગ્રો]

Email - drda.surajpur-cg@nic.in, drda.surajpur@gmail.com

Phone/Fax : 07775-266152

-અધિકારી-

સુરજપુર દિનાંક 25/11/2017

ક્રમાંક / 7343 / શિક્ષા સ્થાઠા / જિ.પં. / 2017 : છત્તીસગढ શાસન પંચાયત એવ ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગ મહાનદી ભવન મંત્રાલય નયા રાયપુર કે પત્ર ક્રમાંક / પંચાઠ / શિઠોસ્થા / પંગ્રાવિવિ / 22 / 750 નયા રાયપુર, દિનાંક 12.10.2017 દ્વારા દિયે ગયે નિર્દેશોનું કે પરિપાલન મેં છત્તીસગડ શિક્ષક પંચાયત સંવર્ગ (ભર્તી તથા સેવા કી શર્તોનું) નિયમ 2012 મેં ઉલ્લયિત પ્રાવધાન એવ સમય સમય પર યથાસંબોધિત પ્રાવધાનાનુસાર નિષ્મલિખિત અભ્યર્થી કી નિયુક્તિ અરથાઈ રૂપ સે સ્કૂલ શિક્ષા વિભાગ / આદિમ જાતિ તથા અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ વિભાગ દ્વારા સંચાલિત વિદ્યાલયોનું વ્યાખ્યાતા (પંચાયત) વિષય જીવ વિજ્ઞાન કે પદ પર વેતનમાન 5300-150-8300 પર ગ્રામીણ ક્ષેત્ર કી શાલાઓનું મેં અધોલિખિત શર્તોનું કે અધીન એતદ દ્વારા કી જાતી હૈ.

ક્ર.	અભ્યર્થી કા નામ	પિતા / પતિ કા નામ એવ પતા	વર્ગ	લિંગ	પદસ્થ સર્વ્સ્થા કા નામ	વિકાસ ખંડ
1	વિશ્વનાથ	શ્રી બુધરામ નિવાસી વાર્ડ નં 2 સેન્ટુર્સ પોઠ અમનદુલા જિલ્લા જાંઝગીર ચાપા	અ.પિ.વ.	પુ.	ઉઠોમાઠોવાઠ ઓડગી	ઓડગી
2	મનઉહર હુસૈન અંસારી	જનત હુસૈન અસારી નિવાસી ન્યુ સ્વાગત વિહાર, સેજબહાર ઝુઝા રાયપુર	અના.	પુ.	શાઠોમાઠોવિઠ ખોડ	ઓડગી
3	મમતા ચૌધરી	શ્રી લક્ષ્મણ ચૌધરી નિવાસી કાર્મલ સ્કૂલ કે પાસ રિંગ રોડ નમનાકલા, અંબિકાપુર	અના.	મ.	શાઠોમાઠોવિઠ શિવપ્રસાદનગર	ભૈયાથાન
4	નીતુ કશ્યપ	શ્રી સુરેશ કશ્યપ નિવાસી માઇનર્સ કોલોની બિશ્રામપુર જિલ્લા સુરજપુર	અ.પિ.વ.	મ.	શાઠોમાઠોવિઠ બતરા	ભૈયાથાન
5	લનેન્ન કુમાર	શ્રી થનુ રામ નિવાસી અબાડીપારા, હસદા જિલ્લા બાલૌદ	અ.પિ.વ.	પુ.	હાઈ સ્કૂલ છતરગ	ઓડગી
6	શોભા સોની	શ્રી શક્રલાલ સોની નિવાસી બિલાસપુર રોડ, ભરતપુર વિઠોખો લખનપર જિલ્લા સરગુજા	અ.પિ.વ.	મ.	શાઠોમાઠોવિઠ કેવરા	પ્રતાપપુર
7	નીતુ મિંજ	શ્રી બોધન રામ મિંજ નિવાસી સુન્દરનગર સીતાપુર જિલ્લા-સરગુજા	અ.જ.	મ.	ઉઠોમાઠોવિઠ સિલૌટા	પ્રતાપપુર
8	સુનિલ કુમાર	શ્રી બિધુન રામ નિવાસી લલાટી, સલકા જિલ્લા સરગુજા	અ.જ.	પુ.	શાઠોમાઠોવિઠ સલકા	પ્રેમનગર
9	પ્રતિમા એક્કા	શ્રી બિગન એક્કા નિવાસી ગ્રામ ઘોઘરા, બિલાસપુર બતીલી જિલ્લા-સરગુજા	અ.જ. મૂ.	પુ.	હાઈ સ્કૂલ ડાડકરવા	પ્રતાપપુર
10	સુશિલા	શ્રી દશન રામ નિવાસી ગ્રામ એવ પોસ્ટ પ્રેમનગર જિલ્લા સુરજપુર	અ.જ.	મ.	ઉઠોમાઠોવિઠ સાલ્હી	રામાનુજનગર

સુરજપુર

11	प्रिया सांडित्य	श्री आनंद राम निवासी ग्राम आमापारा कुरुवां पो० डेडरी जिला सुरजपुर	अ.ज. जा.	म.	शा०उ०मा०वि० बड़सरा	भैयाथान
----	-----------------	---	-------------	----	-----------------------	---------

विद्यार शर्तः-

1. चयनित उम्मीदवार यदि बीएड उपाधिधारी नहीं है, तो नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष के अंदर बीएड पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी। यदि नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की समयावधि के भीतर उम्मीदवार द्वारा बीएड पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त नहीं की जाती है, तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।
 2. व्याख्याता (पंचायत) के लिये चयनित उम्मीदवार का स्कूल विशेष में दो वर्ष की कालावधि के लिये परीविक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया है, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी के कार्य का आकलन किया जायेगा। दो वर्ष की परीविक्षा कालावधि पश्चात् कर्मचारी के कार्य तथा आचरण के आधार पर परिविक्षा अवधि समाप्त हो सकेगी। यदि कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो परिविक्षा अवधि एक से तीन वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है। इसके पश्चात् बढ़ाई गई कालावधि के अंत में कार्य का आकलन किया जायेगा। यदि फिर भी उनकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी।
 3. दो वर्ष सफलतापूर्वक परिविक्षा अवधि समाप्ति पश्चात् व्याख्याता (प.) को कार्य, आचरण तथा कार्यपालन के आधार पर पंचायत के नियमित वेतनमान में नियुक्त किया जा सकेगा।
 4. व्याख्याता (प.) को परीविक्षा की कालावधि में वेतनमान के न्यूनतम के बराबर नियत वेतन तथा उस पर स्वीकार्य मंहगाई भत्ता प्रदत्त किया जायेगा।
 5. पदोन्नति के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003, के उपबंध, आवश्यक परिवर्तन सहित कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये लागू होंगे।
 6. व्याख्याता (प.) यथास्थिति जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे। दीर्घशास्ति के लिये यथास्थिति जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति तथा लघुशास्ति के लिये जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे।
 7. कर्मचारी की सेवाएं, या तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को अथवा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकरी को लिखित में एक मास की सूचना देकर या कर्मचारी द्वारा एक माह के वेतन का भुगतान करने पर किसी समय समाप्त की जा सकेगी।
 8. व्याख्याता (प.) को ऊपर वर्णित शर्तों से भिन्न, सेवा शर्त यथास्थिति जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों के समान ही होंगी।
 9. इन नियमों के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।
 10. भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं विभाग की सेवा संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में शैक्षणिक योग्यता/निवास/जाति प्रमाण पत्र संबंधी कोई विसंगति पाये जाने पर संबंधित की नियुक्ति निरस्त की जायेगी।
 11. नियुक्त अभ्यर्थी का पुलिस विभाग द्वारा अलग से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। पुलिस विभाग से कराये गये चरित्र सत्यापन में यदि उनके चरित्र संबंधी कोई प्रतिकल आपराधिक टिप्पणी पायी जाती है, तो उनकी नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
 12. चयनित उम्मीदवार को सर्वप्रथम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर में नियुक्ति आदेश जारी करने के 10 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। कार्यभार ग्रहण हेतु उपस्थिति मय निर्धारित प्रारूप में शपथपत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्र मूल में लेकर उपस्थित होंगे। तदुपरांत कार्यालय द्वारा विद्यालय में कार्यभार ग्रहण हेतु अनुमति पश्चात् ही अपने नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में कार्यग्रहण करेंगे।

13. चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच प्रावधानित रूप से कार्यग्रहण के समय किये जाने के दौरान अथवा बाद में भी जाति, अंकसूची, निवास आदि में कोई विसंगति अथवा झूठे प्रमाण पत्रों के तथ्य प्रकाश में लाये जाने पर अवैध अथवा त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में नियुक्त व्याख्याता (प.) की, बिना पूर्व सूचना के नियुक्ति निरस्त की जायेगी।
14. उपरोक्त समायावधि में कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
15. इन नियुक्तियों में शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
16. उपरोक्त संबंधित उम्मीदवार को कार्यग्रहण तिथि के एक माह के भीतर स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. नियुक्ति स्थल पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा।
18. पदस्थापना स्थल परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफारिश/अनुशंसा प्राप्त होने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
19. व्याख्याता (प.) भर्ती हेतु जारी विज्ञापन अथवा नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन की जानकारी पाये जाने पर किसी भी समय नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
20. छ०ग० पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के नियम 5 (दो) द्वारा कोई भी पंचायत सेवक अपनी सेवा या अन्य किसी अन्य पंचायत सेवक की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में ना तो किसी तरह की हड्डताल का सहारा लेगा न ही किसी प्राकर से उसे अभिप्रेत करेगा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
जिला पंचायत सूरजपुर [छ०ग०]
 सूरजपुर दिनांक २५/११/२०१७

पृ०क्र०/ ७३४५/ शिक्षा स्थान/ जि.प./ २०१७

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस. भवन मंत्रालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, राज्य सानिक पुनर्वास कल्याण केन्द्र रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त सह सचालक, पंचायत एवं समाज सेवा सचालनालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. सचालक, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
6. सचालक, रोजगार एवं स्व रोजगार मागदर्शन केन्द्र, सभाग बिलासपुर छ०ग० को सादर सूचनार्थ।
7. आयुक्त, सरगुजा सभाग अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
8. कलेक्टर जिला सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
9. पुलिस अधीक्षक जिला सूरजपुर छ०ग० को सूचनार्थ।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-सूरजपुर का सूचनार्थ।
11. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला-सूरजपुर को सूचनार्थ।
12. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सूचनार्थ।
13. जिला मिशन समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान सूरजपुर को सूचनार्थ।
14. जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिला-सूरजपुर को सूचनार्थ।
15. सहायक सचालक जिला जनसंपर्क कार्यालय सूरजपुर को सूचनार्थ।
16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. प्राचार्य जिला-सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
19. सर्व संबंधित श्री/ श्रीमती/ सुश्री को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
जिला पंचायत सूरजपुर [छ०ग०]